A/26

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/13/2024 वाद

दायर दिनांक 23.01.2024

उनवान

1. शिवलाल पुत्र मोतीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. रतनलाल पुत्र मोतीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. कैलाशचन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. राजमल पुत्र मांगीलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1. घनश्याम पुत्र घीसुलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. अशोक पुत्र घीसुलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. देऊ पुत्री घीसुलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. कनकलता पुत्र घीसुलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. केसर पुत्री काशीराम जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन फोत के बजाय–
   - 5/1– किशनलाल पुत्र केसर जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन
   - 5/2– प्रभुलाल पुत्र केसर जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन
   - 5/3– देऊ पुत्री केसर जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन
   - 5/4– पुष्पा पुत्री केसर जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन
6. शंकरीबाई पत्नी घीसुलाल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. हजारी पुत्र जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. ओमप्रकाश पुत्र जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. जमनालाल पुत्र जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. प्रेमबाई पुत्री जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. तारादेवी पुत्री जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. लेहरीबाई पत्नी जीतमल जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
13. बदाम पुत्री काशीराम जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
14. वालुराम पुत्र काशीराम जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
15. किशन पुत्र रामचन्द्र जाति तेली, आयु वयस्क

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

A 27

निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

16. लक्ष्मी पुत्री रामचन्द्र जाति तेली, आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
17. शंकरलाल पुत्र काशीराम जाति तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
18. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—वादीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —प्रतिवादी सं0 1 से 7

एकतरफा

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 08.05.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि गाँव कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग की कृषि भूमि हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 1357 से आराजी नम्बर 5833 रकवा 0.35 हैक्टर, आ.नं. 5834 रकबा 0.40 हैक्टर, आ.नं. 5835 रकबा 0.18 हैक्टर, आ.नं. 5836 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादी सं0 1 का 1/24 हक हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/24 हक हिस्सा, वादी सं० 3 का 1/24 हक हिस्सा, वादी सं0 4 का 1/6 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रेकार्ड है।

यह कि सहखातेदार घीसू लाल पिता मिठुलाल जी तेली व घीसुलाल तेली फोत हो चुके है जिनकी कार्यवाही इन्तकाल वारीसान अमल में नहीं लाई गई जौ जैरकार है, जिनके जायज वारीस प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 मृतक घीसूलाल व श्रंगारी के जायज वारीस है। इसी के साथ रामचन्द्र पिता काशीराम भी फोत हो गये जिनके वारीस पुत्र प्रतिवादी सं0 15 व पुत्री प्रतिवादी सं0 16 जायज वारीस है इसी के साथ जीतमल पुत्र काशीराम सहखातेदार भी फोत हो गई जिनके वारीस पुत्र, पुत्री, पत्नी प्रतिवादी सं0 7 व 12 है, उपरोक्त मृतको के उल्लेखित वारीसों के अलावा और कोई वारीस नहीं है। जिससे उक्त वाद में उक्त वारीसान खातेदारान को प्रतिवादी संस्थित किया है।

यह कि वाद पत्र आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी की है पुर्वजो के वक्त से अंदाज आसरे से आराजीयात जैर बहस का बंटवाडा है जो मुकम्बल नहीं है खाते अलग अलग नहीं है जिससे आराजीयात को जोने बोने सिमांकन कराने, आराजीयात हिस्सा लागत लगा आबादान करने, फलदार पैड़ लगाने काऊशेड़ बनाने व भू—रूपान्तरण कराने में वादीगण को बंटवाडे की कानूनन जरूरत है जिससे वादीगण अपना हिस्सा मौके कब्जे अनुसार बंटवाडे में अलग कराना चाहते है, जिसके लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि आप आपना हिस्सा कब्जा खाता अलग करा लो हमे एतराज नहीं हमे समय नहीं सहमती के लिए आ नहीं सकतें, जिससे वादी सं० 1 का हिस्सा 1/24 व हकतर्के से सहखातेदार गणपतलाल पुत्र मोतीलाल भाई का हिस्सा 1/24 जुमला हिस्सा 1/12 व वादी सं0 2 का 1/24 व वादी सं0 3 का 1/24 हिस्सा व वादी सं0 4 का 1/4 हिस्सा मौके कब्जे अनुसार जुज को जुज रखते हुए मौके कब्जे अनुसार अलग बंटवाड़ा किये जाने हेतु बंटवाडा डिक्री की प्रार्थना है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण उल्लेखित जमाबन्दी व मौके कब्जे अनुसार बंटवाड़े मे रखा जाने पर एतराज नहीं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादगत आराजीयात का सहमती से दिनांक 20/01/2024 को बंटवाड़ा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण अन्य कामों मे व्यस्त रहने से आपसी सहमती से बंटवाडा कराने को तैयार नहीं हुए इस कारण वाद हेतुक कारण दिनांक 20/01/2024 को पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि

यह कि बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सहखातेदारान इस आशय की जारी फरमाई जावें कि गॉव कपासन पटवार हल्का कपासनए, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग की कृषि भूमि हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 1357 से आराजी नम्बर 5833 रकबा 0.35 हैक्टर, आ.नं. 5834 रकवा 0.40 हैक्टर, आ.नं. 5835 रकबा 0.18 हैक्टर, आ.नं. 5836 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय (stamp)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला चित्तौड़गढ़

H
28

24 हक हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/ 24 हक हिस्सा, वादी सं0 3 का 1/24 हक हिस्सा, वादी सं0 1/6 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रेकार्ड है का बंटवाड़ा वादी सं० 1 का हिस्सा 1/24 व हकतर्क से खातेदार गणपतलाल पुत्र मोतीलाल भाई का हिस्सा 1/24 जुमला हिस्सा 1/12 व वादी सं0 2 का 1/24 व वादी सं0 3 का 1/24 हिस्सा व वादी सं0 4 का 1/4 हिस्सा मौके कब्जे अनुसार जुज को जुज रखते हुए मौके कब्जे अनुसार अलग बंटवाड़ा किये जाने हेतु बंटवाडा डिक्री की प्रार्थना है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण उल्लेखित जमाबन्दी व मौके कब्जे अनुसार बंटवाड़े मे रखा जाने पर एतराज नहीं बंटवाड़ा सादर फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पवनपाल सिंह चौधरी का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 03.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 25.04.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 08.05.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 1357 से आराजी नम्बर 5833 रकबा 0.35 हैक्टर, आ.नं. 5834 रकबा 0.40 हैक्टर, आ.नं. 5835 रकबा 0.18 हैक्टर, आ.नं. 5836 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 25.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. शिवलाल पिता मोतीलाल 1/4, रतनलाल, कैलाशचन्द्र पिता मोतीलाल 1/4, राजमल पिता मागीलाल 1/2 जाति तेली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5835	0.18	चाही 1
2	5836	0.18	चाही 1
3	5834/1	0.01	चाही 1
योग	कुल किता–03	0.37	

2. घीसुलाल पुत्र मीठुलाल 1/2, सणगारी पत्नी मिठूलाल 1/2 जाति तेली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5834/2	0.37	चाही 1
योग	कुल किता–01	0.37	

3. किशनलाल, लक्ष्मी पिता रामचन्द्र 863/3700, हजारीलाल, ओमप्रकाश, जमनालाल पिता जीतमल 863/7400, प्रेमबाई, ताराबाई पिता जीतमल 863/11100, लेहरी बाई पत्नी जीतमल 863/22200, शंकरलाल पिता काशीराम 863/3700, बालुराम पिता काशीराम 863/3700 केसर बदाम पिता काशीराम 62/925 जाति तेली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5833	0.35	चाही 1
2	5834/3	0.02	चाही 1
योग	कुल किता–02	0.37	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश दुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ